

राजस्थान अप्रधान खनजि रियायत नयिम-2017 के वभिन्नि नयिमों में संशोधन को मली मंजूरी

चर्चा में क्यों?

28 जुलाई, 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान अप्रधान खनजि रियायत नयिमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

प्रमुख बदि

- उक्त संशोधनों से खनजिों का वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल तरीके से समुचित खनन हो सकेगा तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
- प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान अप्रधान खनजि रियायत नयिम-2017 के वभिन्नि नयिमों में बदलाव किया गया है। संशोधित नयिमों के अनुसार, अप्रधान खनजिों के खनन पट्टों/क्वारी लाईसेंसों की अवधि निश्चिति प्रीमियम के भुगतान की शर्त पर 31 मार्च, 2025 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2040 तक हो सकेगी।
- संशोधित नयिमावली में अप्रधान खनजिों के खनन पट्टों के हस्तांतरण पर लिये जाने वाला प्रीमियम अब डेड रेंट/लाईसेंस फीस के 10 गुना व अधिकतम 10 लाख रुपए के स्थान पर 5 गुना व अधिकतम 5 लाख रुपए तक लिया जाएगा तथा पट्टाधारियों को अप्रधान खनजिों के खनन पट्टों के लिये मासिक की जगह त्रैमासिक ऑनलाइन रटिर्न भरना होगा।
- नए नयिमों में खातेदारी भूमि में अप्रधान खनजि खनन पट्टा जारी करने की 4 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा को भी हटाया जा सकेगा, ताकि वैज्ञानिक और सुरक्षिति खनन को बढ़ावा मिलि सके। साथ ही, निर्धारित प्रीमियम के भुगतान पर अप्रधान खनजि के खनन पट्टों /क्वारी लाईसेंस के समीप उपलब्ध भूमि एक निश्चिति क्षेत्रफल तक खनन पट्टों/लाईसेंस धारी को आवंटित की जा सकेगी।
- सुगमता की दृष्टिसे नवीन प्रावधान के अनुसार खानों का पंजीयन बना पर्यावरण अनुमतिके हो सकेगा, लेकिन खनन कार्य पर्यावरण अनुमतिप्राप्त करने के बाद ही शुरू होगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा की क्रियान्विति में राजस्थान अप्रधान खनजि रियायत नयिम-2017 में संशोधन की अधिसूचना के प्रारूप को मंजूरी दी है।